

न्यायालय :-जितेन्द्र नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला दमोह (म.प्र.)

--: दाण्डिक कार्य वितरण आदेश :-
(भाग-1)

जावक क्रमांक-...../स्टेनो/2022

दमोह, दिनांक- 28.04.2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-15(2) के अंतर्गत प्राप्त प्राधिकारों एवं शक्तियों के प्रयोग में इस संबंध में पूर्व में जारी कार्य वितरण आदेश/संशोधित आदेशों को अतिष्ठित करते हुए मैं, **जितेन्द्र नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह** न्यायिक जिला स्थापना दमोह, हटा, पथरिया एवं तेन्दूखेड़ा में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक प्रकरणों के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु निम्नानुसार दाण्डिक कार्य का विभाजन करता हूँ, यह कार्य वितरण आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, दमोह के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	दाण्डिक कार्य विभाजन का वितरण
1	जितेन्द्र नारायण सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह म.प्र. I-CJ-I	<ol style="list-style-type: none">1. पुलिस थाना कोतवाली दमोह, आबकारी वृत्त अ, आबकारी वृत्त ब तथा यातायात से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना कोतवाली दमोह के उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां।2. पुलिस थाना कोतवाली दमोह से उद्भूत होने वाले समस्त प्राइवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।3. चलचित्र अधिनियम।4. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम।5. दुकान स्थापना अधिनियम।6. वेट्स एवं मेजरमेंट एक्ट।7. श्रमिक विधियाँ।8. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम।9. नगर पालिका अधिनियम।10. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण।11. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दमोह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण।12. धारा 410 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।13. पुलिस थाना कोतवाली दमोह से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।14. पुलिस थाना कोतवाली दमोह से उद्भूत खात्मा (F.R.) प्रकरण।

		<p>15. समस्त दमोह जिला के आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत खारिजी (E.R.) प्रकरण।</p> <p>16. अन्य ऐसे सभी प्रकरण, जिनका उल्लेख इस विभाजन में नहीं है।</p> <p>17. अन्य आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावे।</p>
2	<p>श्री राममनोहर दांगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र. II-CJ-I</p>	<p>1. पुलिस थाना हिण्डोरिया एवं देहात दमोह से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना हिण्डोरिया एवं दमोह देहात जिला दमोह के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना हिण्डोरिया एवं देहात दमोह से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना हिण्डोरिया से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>4. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा-12 में उपबंधित अनुसूची के भाग-1 एवं भाग-2 में उल्लेखित आपराधिक प्रकरण जो जनपद पंचायत दमोह के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सभी प्रकरण।</p> <p>5. पुलिस थाना हिण्डोरिया एवं देहात दमोह से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>6. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील दमोह एवं जबेरा अंतर्गत खान-खनन एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
3	<p>श्री प्रकाश कुमार उईके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दमोह म.प्र. IIIAd. I-CJ-I</p>	<p>1. पुलिस थाना जबेरा एवं जी.आर.पी. चौकी दमोह से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना जबेरा के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना जबेरा से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना जबेरा से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना जबेरा से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,</p>

		दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।
4	श्री सुशील कुमार अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह म.प्र. I Ad.- I-CJ-I	<p>1. पुलिस थाना नोहटा से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना नोहटा के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, दमोह के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना नोहटा से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना नोहटा से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना नोहटा से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
5	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह म.प्र. III-CJ-II	<p>1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा के विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना महिला थाना दमोह से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां, जिनके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना महिला थाना दमोह, थाना कोतवाली दमोह, देहात दमोह, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं, जो विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से संबंधित हों।</p> <p>4. थाना कोतवाली एवं दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले (धारा 125 से 128 दं.प्र. सं.) कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण को छोड़कर।</p> <p>5. पुलिस थाना कोतवाली दमोह, दमोह देहात, हिण्डोरिया, जबेरा एवं नोहटा के ऐसे प्रकरण जो विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>6. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
6	श्रीमती शेफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	1. पुलिस थाना कोतवाली दमोह से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।

	<p>श्रेणी दमोह म.प्र. II Ad. I-CJ-II</p>	<p>2. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पृष्ठांकन क्र. ए/1809/तीन-6-4/72-9 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया दमोह का कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 अनुसार सिविल जिला दमोह संपूर्ण से ऐसे प्रकरण जो किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित हों।</p> <p>3. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
7	<p>श्रीमती परिधि गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह म.प्र. II Ad. II-CJ-II</p>	<p>1. पुलिस थाना देहात दमोह से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>2. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
8	<p>श्री देवेन्द्र अतुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह I-CJ-I</p>	<p>1. पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 12 में उपबंधित अनुसूची के भाग एक एवं भाग दो में उल्लेखित आपराधिक प्रकरण जो जनपद पंचायत हटा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सभी प्रकरण।</p> <p>4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार जिला दमोह के तहसील हटा, पटेरा और बटियागढ़ के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों के खान-खनन एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>5. पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ़, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन के ऐसे प्रकरण जो विशिष्टतया महिलाओं के प्रति कारित अपराध से संबंधित हैं, उन प्रकरणों के पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय/नियमित न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां, जिसमें पुलिस थाना हटा, बटियागढ़, मढ़ियादौ से उद्भूत अन्य सभी प्रकरणों में फरार/स्थाई वारंट के संबंध में होने वाली कार्यवाहियां।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
9	<p>श्रीमती दीप्ति ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम</p>	<p>1. पुलिस थाना रनेह, गैसाबाद से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां तथा अन्य कार्यवाहियां (थाना रनेह, गैसाबाद के उद्भूत वन</p>

	<p>श्रेणी हटा, जिला दमोह II-CJ-I</p>	<p>अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना रनेह, गैसाबाद से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन के विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध के प्रकरण, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>4. थाना हटा, रनेह, गैसाबाद, बटियागढ, पटेरा, रजपुरा, मढ़ियादौ, कुम्हारी एवं मगरौन से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले (धारा 125 से 128 दं.प्र.सं.)।</p> <p>5. पुलिस थाना रनेह, गैसाबाद से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं उसकी कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना रनेह, गैसाबाद से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p>10</p>	<p>श्री सुनील कुमार खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह II-CJ-II</p>	<p>1. पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना पटेरा, कुम्हारी के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तथा वन अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना पटेरा, कुम्हारी से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p>11</p>	<p>सुश्री श्रुति जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा, जिला दमोह</p>	<p>1. पुलिस थाना रजपुरा एवं मगरौन से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (थाना रजपुरा एवं मगरौन के उद्भूत भरण-पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध तथा वन</p>

	<p align="center">I-CJ-II</p>	<p>अपराध एवं खनन अधिनियम से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों तथा ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत ग्राम न्यायालय, हटा के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना रजपुरा एवं मगरोन से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. पुलिस थाना रजपुरा एवं मगरोन से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>4. पुलिस थाना रजपुरा एवं मगरोन से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>5. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p align="center">12</p>	<p align="center">श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया, जिला दमोह CJ-II</p>	<p>1. पुलिस थाना पथरिया से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना पथरिया से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना पथरिया के विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के सभी प्रकरण।</p> <p>4. थाना पथरिया से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले (धारा 125 से 128 दं.प्र.सं.)।</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्य विभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील पथरिया के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले खान-खनन एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना पथरिया से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना पथरिया से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
<p align="center">13</p>	<p align="center">श्री जगमोहन सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह CJ-II</p>	<p>1. पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत खात्मा (F.R.) प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>2. पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उद्भूत</p>

	<p>प्रकरण भी शामिल हैं।</p> <p>3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार थाना तेजगढ़, तेन्दूखेड़ा एवं तारादेही के विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के सभी प्रकरण।</p> <p>4. थाना तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही के उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं भरण पोषण के मामले (धारा 125 से 128 दं.प्र.सं.)।</p> <p>5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के कार्यविभाजन आदेश क्र. 17/एक-11-1/85 दमोह दिनांक 27.04.2022 द्वारा अधिकृत अनुसार सिविल जिला दमोह के तहसील तेन्दूखेड़ा के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले खान-खनन एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>6. पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही से उद्भूत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के सभी प्रकरण एवं कार्यवाहियां।</p> <p>7. पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा, तेजगढ़, तारादेही से पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले, जिनमें रिक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी किया गया है, उनमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां।</p> <p>8. अन्य आपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां जो माननीय प्रधान न्यायाधीश दमोह एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह के द्वारा निराकरण हेतु सौंपे जावें।</p>
--	---

11	श्रीमती श्रुति जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री सुनील कुमार खरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्रीमती दीप्ति ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा	श्री देवेन्द्र अतुलकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हटा
12	श्री राजेन्द्र बर्मन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथरिया	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	श्रीमती शेफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	श्रीमती परिधि गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह
13	श्री जगमोहन सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तेंदूखेड़ा	श्रीमती शेफाली सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	श्रीमती परिधि गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह	सुश्री सुनीता रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह